

प्रेस नोट - मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 10.04.2026

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास, धारा 302 भादवि में 03 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं कुल 105000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कड़ी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रियांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना कलान पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एसजे/ एफटीसी-02 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त थाना कलान में आरोपी 1.जयवीर पुत्र झब्बुलाल ठाकुर नि0 ग्राम धोबियन नगला थाना कलान 2.उमेश पुत्र बालकराम किसान नि0 धोबियान नगला थाना कलान 3.धर्मवीर उर्फ विलायती पुत्र श्यामपाल नि0 ग्राम धोबियान नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर देने के आरोप में आजीवन कारावास एवं कुल 115000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण:-

1. जयवीर पुत्र झब्बुलाल ठाकुर नि0 ग्राम धोबियन नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
2. उमेश पुत्र बालकराम किसान नि0 धोबियान नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।
3. धर्मवीर उर्फ विलायती पुत्र श्यामपाल नि0 ग्राम धोबियान नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर।

घटना व सजा का विवरण:-

मु0अ0सं0 326/2022,330/2022 धारा 302,34 भादवि व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर में आरोपी 1.जयवीर पुत्र झब्बुलाल ठाकुर नि0 ग्राम धोबियन नगला थाना कलान 2.उमेश पुत्र बालकराम किसान नि0 धोबियान नगला थाना कलान 3.धर्मवीर उर्फ विलायती पुत्र श्यामपाल नि0 ग्राम धोबियान नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी के पुत्र की हत्या कर देने के आरोप में आजीवन कारावास एवं कुल 105000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।